Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding amendment in the guidelines of National Council for Teacher Education (N.C.T.E.)-aid.

श्री राहुल कस्वां (चुरू): बी.एस.टी.सी.संघर्ष समिति राजस्थान के छात्रों की मांग है कि प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति देने के संबंध में राजस्थान हाइकोर्ट जोधपुर की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 25.11.2021 को फैसले दिया गया है। राजस्थान हाई कोर्ट द्वारा दिया गया यह निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो लाखों बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सुनाया गया है। एन.सी.टी.ई. की गाईड लाईन में संशोधन करते हुए बी.एस.टी.सी. जेबीटी एंव डीलेड आदि को प्राथमिक अध्यापक भर्ती के तहत नियुक्ति दिलवाने का आदेश जारी करवाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि बी.एस.टी.सी.संघर्ष समिति राजस्थान की मांग को ध्यान में रखते हुए राजस्थान हाइकोर्ट जोधपुर की खण्डपीठ के निर्णय को कायम रखते हुए एन.सी.टी.ई. की गाईड लाईन में संशोधन करने का आदेश करवाने की कृपा करें।